न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2023/280 दर्ज तिथिः–14.08.2023

1. चिमनाराम पुत्र सिताराम
जाति मेगवंशी निवासी गोलिया जैतमाल तहसील नोखडा

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखडा

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री रामजीवन विश्नोई
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–05.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 543/193 मौजा गोलिया जैतमाल तहसील नोखडा में अवस्थित है। उक्त आराजी के पडोस में खसरा संख्या 189/3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पालीवालों की ढाणी तहसील नोखडा अवस्थित है। उक्त खसरा संख्या 189/3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पालीवालों की ढाणी तक पहुंच हेतु रास्ते की आवश्यकता के लिए प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी में से दिनांक 02.09.2021 को भूमि समर्पण की गई। परन्तु उक्त भूमि की तरमीम दो जगह करने की वजह से उक्त विद्यालय तक पहुंच रास्ता पूर्ण नहीं हो सका। अतः प्रार्थी अपने द्वारा की गई समर्पित भूमि की तरमीम परिशिष्ट–अ क अनुसार करवाना चाहता है ताकि विद्यालय तक रास्ता पहुंच सके। अतः समर्पण आदेश दिनांक 02.09.2021 की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट का न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:29:36 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार नोखडा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

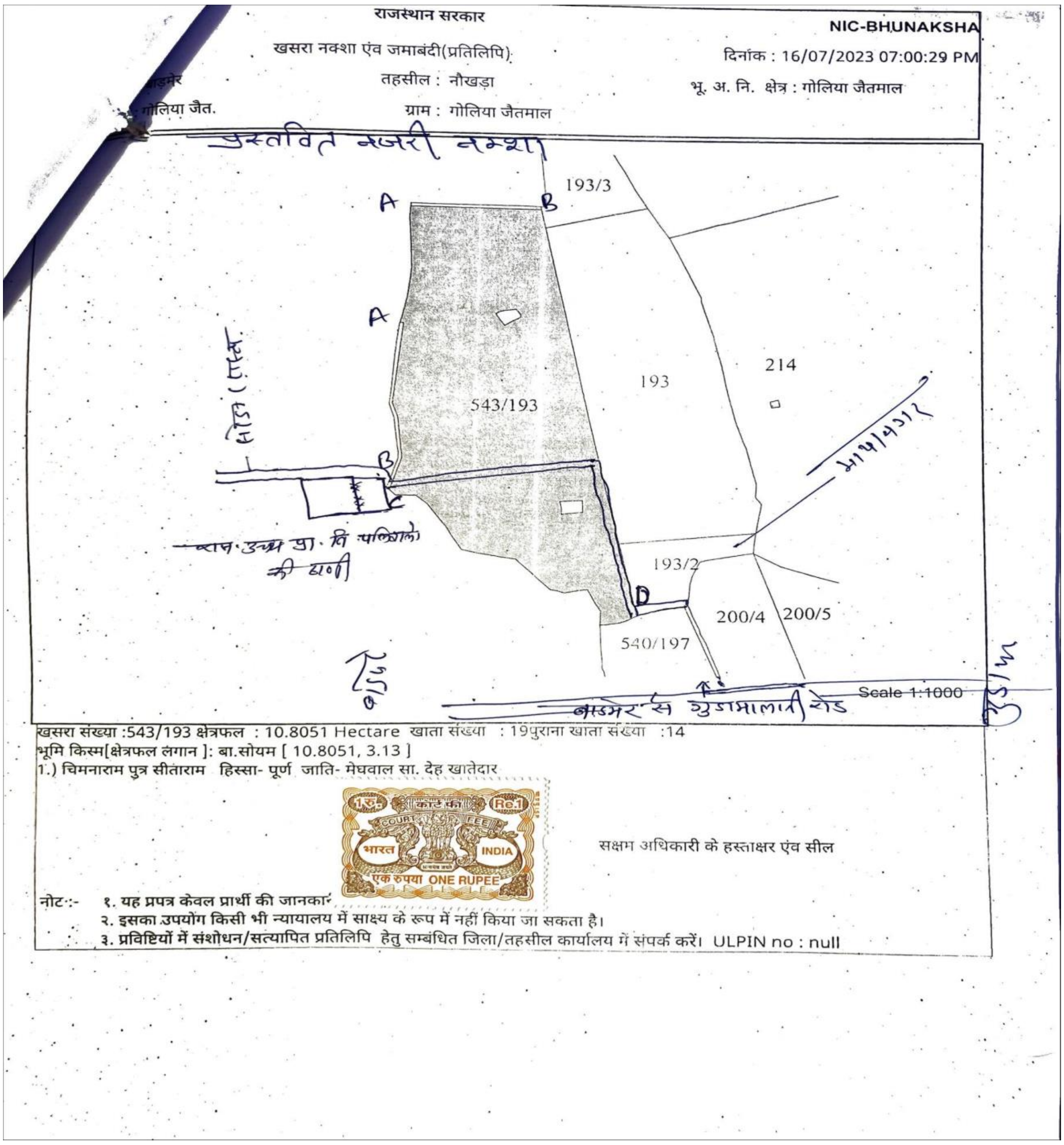
राजस्थान सरकार
NIC-BHUNAKSHA
खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)
दिनांक : 16/07/2023 07:00:29 PM
बाड़मेर
तहसील : नौखड़ा
भू. अ. नि. क्षेत्र : गोलिया जैतमाल
गोलिया जैत.
ग्राम : गोलिया जैतमाल

खसरा संख्या :543/193 क्षेत्रफल : 10.8051 Hectare खाता संख्या : 19पुराना खाता संख्या :14
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [10.8051, 3.13]
1.) चिमनाराम पुत्र सीताराम हिस्सा- पूर्ण जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकार
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखडा पत्रांक／भू.अ.／2024／871 दिनांक 15.01.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखडा द्वारा पत्रांक／भू.अ.／2024／871 दिनांक 15.01.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:29:36 IST
Reason: SelfAttested

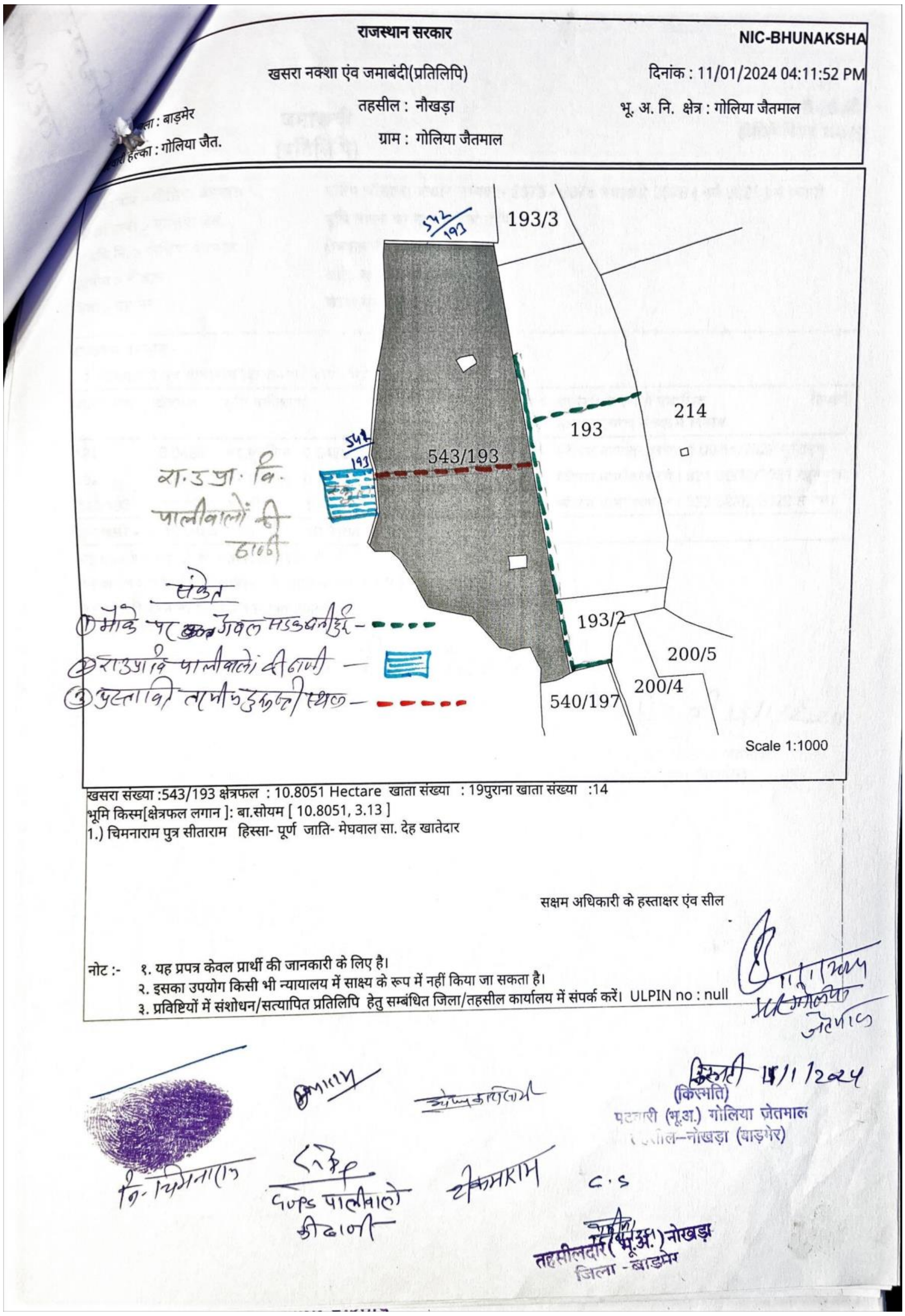

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 11/01/2024 04:11:52 PM

तहसील : नौखड़ा

भू. अ. नि. क्षेत्र : गोलिया जैतमाल

जिला : बाड़मेर

पटवार हल्का : गोलिया जैत.

ग्राम : गोलिया जैतमाल

खसरा संख्या :543/193 क्षेत्रफल : 10.8051 Hectare खाता संख्या : 19पुराना खाता संख्या :14

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [10.8051, 3.13]

1.) चिमनाराम पुत्र सीताराम हिस्सा- पूर्ण जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

(किस्मति)
पटवारी (भू.अ.) गोलिया जैतमाल
तहसील–नोखड़ा (बाड़मेर)

तहसीलदार (भू.अ.) नोखड़ा
जिला - बाड़मेर

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखडा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 871 दिनांक 15.01.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:–

1. संलग्न नक्शे में दर्शाये बरंग नीला स्थान पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालीवालों की ढाणी का विद्यालय भवन बना हुआ है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:29:36 IST
Reason: SelfAttested

2. संलग्न नक्शे में दर्शाये बरंग हरा स्थान पर ग्रेवल सडक मौके पर बनी हुई है। जो खसरा संख्या 543/193 के सेढे सेढ बनी हुई है।
3. खसरा संख्या 543/193 में से समर्पण भूमि खसरा संख्या 541/193 व 542/193 के स्थान पर मौके पर किसी प्रकार का रास्ता चलायमान नहीं है।
4. खसरा संख्या 543/193 में दर्शाये गये बरंग लाल स्थान पर समर्पणसुदा भूमि खसरा संख्या 581/193 व 542/193 की तरमीम दुरूस्ती की जाती है तो विद्यालय भवन को मुख्य सडक से जोडा जा सकता है। खसरा संख्या 543/193 के खातेदार उक्त तरमीम दुरूस्ती हेतु सहमत हैं।

8. प्रकरण में तहसीलदार नोखडा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/871 दिनांक 15.01.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में खसरा संख्या 189/3 विद्यालय को मुख्य सडक से जोडने हेतु खसरा संख्या 543/193 के खातेदार ने दिनांक 02.09.2021 को भूमि का समर्पण किया है। परन्तु उक्त समर्पण से विद्यालय तक रास्ता कायम नहीं हो सका। वर्तमान में खसरा संख्या 543/193 के खातेदार खसरा संख्या 189/3 विद्यालय को मुख्य सडक से जोडने हेतु सहमत है। साथ ही तहसीलदार नोखडा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/871 दिनांक 15.01.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से किसी अन्य खातेदार की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार नोखडा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/871 दिनांक 15.01.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखडा को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/871 दिनांक 15.01.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखडा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:29:36 IST
Reason: SelfAttested